सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस

दिनांक –10.07.2024

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचनाएवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 05 अभियोगों में 05 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विभिन्न मुकदमों में सजा पाये अभियुक्तगणों का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम – थाना कुठौन्द में मु0अ0सं0 172/18 (वाद संख्या – 15/19) धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट व 3(i)W(ii) एससी एसटी एक्ट बनाम विद्यासागर पुत्र सन्तोष तिवारी निवासी ग्राम मरगायां कोतवाली उरई जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय एडीजे/पॉक्सो कोर्ट उरई द्वारा अभियुक्त विद्यासागर उपरोक्त को दोषी पाते हुये 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 40,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण द्वितीय – कोतवाली जालौन में मु0अ0सं0 17/2001 (वाद संख्या – 113/2002) धारा 41/379/411 भादवि बनाम माताप्रसाद पुत्र भगवानदास निवासी ग्राम छानी अहीर थाना सिरसाकलार जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय जेएम कोर्ट जालौन द्वारा अभियुक्त माताप्रसाद उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अवधी एवं 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण तृतीय – थाना कोतवाली उरई में मु0अ0सं0 966/18 (वाद संख्या – 13/20) धारा 323/504/506 भादवि व 3(i)द ध एससी एसटी एक्ट बनाम सुशील कुशवाहा पुत्र अमर चन्द्र उर्फ अमरू निवासी ग्राम छोटी भेंडी थाना कदौरा जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय एडीजे/स्पे0 एससी एसटी कोर्ट उरई द्वारा अभियुक्त सुशील कुशवाहा उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में वितायी गयी अवधि (02 वर्ष 01 माह) एवं 6500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण चतुर्थ – थाना आटा में मु0अ0सं0 184/20 (वाद संख्या – 22/22) धारा 2/3 गैंग्सटर एक्ट बनाम जगभान केवट पुत्र संदेश्वरीदीन निवासी ग्राम विरेहट थाना चिकासी हमीरपुर के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी/सीएडब्ल्यू/जीएसटी कोर्ट उरई द्वारा अभियुक्त जगभान केवट उपरोक्त को दोषी पाते हुये 02 वर्ष का कारावास एवं 5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण पंचम – थाना कोतवाली उरई में मु0अ0सं0 02/24 (वाद संख्या –17/24) धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम शाहरूख उर्फ मुतकू पुत्र नूर मुहम्मद निवासी ग्राम लाखीपुर थाना खागा जनपद फतेहपुर के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी/सीएडब्ल्यू/एनडीपीएस कोर्ट उरई द्वारा अभियुक्त शाहरूख उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में वितायी गयी अवधी एवं 5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।